भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 571
25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के उत्पादन को बढ़ाना

571. श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें भावी योजनाओं का विकास करती हैं और कृषि उत्पादन के संबंध में कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करती है। सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की जिनका फोकस उच्च उत्पादकता प्राप्त करने, खेती की लागत घटाने और उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने पर है। इन कार्यकलापों के परिणामस्वरूप देश में रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। वर्ष 2018-19 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 283.37 मिलियन टन है जो पिछले 5 वर्षों (2013-14 से 2017-18) के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 17.62 मिलियन टन अधिक है। बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र 23.24 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 25.66 मिलियन हेक्टेयर होने और उत्पादकता 11.07 एमटी/हेक्टेयर से बढ़कर 11.96 एमटी/हेक्टेयर होने से बागवानी उत्पादन भी 306.8 मिलियन टन (तीसरा अग्रिम अनुमान) के रिकार्ड उत्पादन पर पहुंच गया है।

सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न कार्यकलाप करके विभिन्न कदम उठाएं हैं जैसे उन्नत फसल बीजों का विकास/उपलब्ध कराना; पशुधन और फिश कल्चर; जल उपयोग दक्षता; कीट प्रबंधन; उन्नत फार्म प्रणालियां; उन्नत पोषक तत्व प्रबंधन; कृषि बीमा; ऋण सहायता; मंडी, सूचना तक पहुंच और बेहतर कृषि उत्पादन और किसानों के कल्याण के लिए आजीविका विविधीकरण।

इसके अतिरिक्त बेहतर कृषि उत्पादन के विजन के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) और कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) जैसे कार्यकलापों सहित राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत बीजों/खाद्यान्नों की दबाव सहृय/जलवायु अनुकूल किस्मों के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।

(घ): उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

लो.स.अता.प्र.सं. 571

सरकार की कार्यनीति खेती को व्यवहार्य बनाकर किसानों के कल्याण में फोकस करना है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की अधिकतर योजनाएं विभिन्न कार्यकलापों और योजनाओं के माध्यम से सीधे किसानों को लाभ प्रदान करने पर फोकस करती हैं जैसे:

i. मॉडल संविदा खेती अधिनियम को लागू करके राज्य सरकारों के माध्यम से संविदा खेती को बढ़ावा देना,

ii. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्डों के वितरण की फ्लैगशिप योजना का कार्यान्वयन ताकि किसान उर्वरकों का न्यायोचित उपयोग कर सके,

iii. प्रति बूंद अधिक फसल कार्यकलाप जिसके अंतर्गत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है

iv. प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है

v. जोखिम शमन के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार ने खरीफ 2016 मौसम से एक फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है। यह योजना विशिष्ट घटनाओं में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है।

vi. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौसम 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है।

vii. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई क्षत्रक योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम अभूतपूर्व है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

viii. परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद तथा अन्य उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ix. सरकार 3 लाख रूपये तक के लघु अवधि फसल ऋणों पर कुल 5 प्रतिशत (3 प्रतिशत समय पर चुकौती प्रोत्साहन सहित) तक ब्याज छूट प्रदान करती है। इस प्रकार तत्काल चुकौती करने वाले किसानों के लिए यह ऋण 4 प्रतिशत की घटी हुई दर पर उपलब्ध हो जाता है।

x. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को ब्याज छूट सुविधा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।

****